126

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्षः— श्री एस0 एस0 अली**
**सदस्य**

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/3571 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—09—2017 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील मुरैना के प्रकरण कमांक 165/अ—6/2016—17.

.....

1—मुरारी पुत्र गंभीर सिंह गुर्जर
2—लोकेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह गुर्जर
निवासीगण ग्राम ऐंती तहसील व
जिला मुरैना म0प्र0

——— आवेदकगण

**विरूद्ध**

1—श्रीमती पोथाबाई पत्नी लखपतसिंह गुर्जर
पुत्री ग्यासीराम
2—गब्बर सिंह पुत्र लखपतसिंह गुर्जर
3—सीताराम पुत्र जाहरसिंह गुर्जर
निवासीगण ग्राम ऐंती तहसील व
जिला मुरैना म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

**आदेश**
(आज दिनांक 19/01/2018 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.9.17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा 18.5.17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है था कि भूमि सर्वे कमांक 1116 रकवा 0.418, सर्वे कमांक 1118 रकवा 1.024, सर्वे कमांक 1261 रकवा 0.502, सर्वे कमांक 1264 मिन–1 रकवा 1.254, पर वसियतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पेशियां चलती रहीं। दिनांक 26.9.17 को आवेदक की ओर से आवेदन पत्र धारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा सिविल वाद की प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण स्थगित करने का अनुरोध किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल वाद में स्थगन न होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पुनः शाम 4.00 बजे अनावेदक कमांक–2 गब्बर सिंह कथन अंकित किये गये। पकरण में मूल वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया, प्रकरण शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 28.9.17 नियत की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय में वसीयतनामा के आधारा पर नामांतरण कराये जाने वावत आवेदन दिया इन्हीं भूमियों के संबंध में एक आवेदन गब्बरसिंह एवं सीताराम के द्वारा वसीयतनामा दिनांक 12.7.94 के आधार पर नामांतरण कराने वावत तथा एक आवेदन वारिसान की हैसियत से पोथाबाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार उक्त विवादित भूमियों के संबंध में तीन पक्षों के नामांतरण आवेदन विचाराधीन होकर प्रकरण आपत्तिकर्ता गब्बर सिंह एवं सीताराम की साक्ष्य हेतु नियत चल रहा है। आवेदकगण की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है। आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि प्रकरण में 2 वसीयत तथा एक वारिसाना के द्वारा नामांतरण की कार्यवाही किये जाने के कारण स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित हो जाने के कारण आवेदकगण ने वसीयतनामा दिनांक 4.1.17 के आधार पर व्यवहार न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत किया है। आवेदकगण के द्वारा धारा–32 का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई न्यायिक दृष्टि से विचार नहीं किया है कि उक्त प्रकरण में आवेदकगण ने वसीयतनामा

के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की। उक्त नामांतरण की कार्यवाही आनावेदक कमांक 2 व 3 ने भी वसीयतनामा दिनांक 12.7.94 के आधार पर आपत्ति एवं नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण में एक तीसरा वारिसान की हैसियत से अनावेदक कमांक–1 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.9.17 का अंतिरिम आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा गया है कि अभी प्रकरण शेष साक्ष्य के लिये नियत था, और प्रकरण लंबित रखने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अभी साक्ष्य होना शेष और प्रकरण इस न्यायालय में पेडिंग डाल दिया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को वापिस किया जावे इससे वहां उसका साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण के आधार पर निराकरण हो सके।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा 18.5.17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि भूमि सर्वे कमांक 1116 रकवा 0.418, सर्वे कमांक 1118 रकवा 1.024, सर्वे कमांक 1261 रकवा 0.502, सर्वे कमांक 1264 मिन–1 रकवा 1.254, पर वसियतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पेशियां चलती रहीं। दिनांक 26.9.17 को आवेदक की ओर से आवेदन पत्र धारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा सिविल वाद की प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण स्थगित करने का अनुरोध किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल वाद में स्थगन न होने के कारण आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण में पुनः शाम 4.00 बजे अनावेदक कमांक–2 गब्बर सिंह के कथन अंकित किये गये। प्रकरण में मूल वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया, तथा प्रकरण शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 28.9.17 नियत की, जिसमें गब्बर सिंह के कथन अंकित कर उसका

प्रतिपरीक्षण आवेदक अधिवक्ता द्वारा किया गया तथा प्रकरण शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 28.9.17 पेशी नियत की गई। प्रकरण के अवालोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण अभी साक्ष्य हेतु संचालित है जिससे विचारण न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है, तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.9.17 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय तहसीलदार तहसील मुरैना के प्रकरण कमांक 165/अ–6/2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 26.9.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर